न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 63 / 2022
जीसीएमएस न0 2022 / 189

1. श्री माँगीलाल पिता दयाराम जी जाति गायरी आयु 55 साल निवासी ऊखलियाँ तहसील निम्बाहेडा राज०

.... प्रार्थी

बनाम

1. श्री रतनलाल पिता देवीलाल जी जाति गायरी आयु वयस्क निवासी ऊखलियाँ तहसील निम्बाहेडा
2. श्री बद्रीलाल पिता सुक्खा जी जाति गायरी आयु वयस्क निवासी ऊखलियाँ तहसील

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1– श्री रामचन्द्र धाकड – अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 21.09.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की पैत्रिक आराजियात वाके मौजा खलियाँ पटवार हल्का ऊखलियॉ तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 में खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है जिसके खाता संख्या 329 आराजी नम्बर 1244 रकबा 0.3300 हेक्टेयर स्थित है। उक्त आराजी पर मौके पर काश्त प्रार्थी उनके पिताजी एवं दादाजी के जीवनकाल से करता चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र के साथ में नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस की प्रति साथ पेश है।

2. उक्त वर्णित आराजियात गाँव ऊखलियों में प्रार्थी की आराजी नम्बर 1244 पर आने जाने के लिए मुख्य रास्ता आबादी का जो दक्षिण से उत्तर की ओर जाने आने का है उससे पश्चिम दिशा की ओर स्थित आराजी रास्ते के बाद जहाँ पर विपक्षीगण के आराजी शुरू होती है उस आराजी नम्बर 1245 की पूर्वी मेड के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में स्थित प्रार्थी के खेत तक जाने आने हल बैल गाडी गडार टेक्टर कृषि यन्त्र तथा फसल इत्यादी लाने ले जाने का स्थित [illegible] नजरी नक्शा में लाल श्याही से मार्क करके 1 दर्शाया गया है। [illegible] मुख्य रास्ते के वहॉ पर गेट लगाकर बन्द करने करने की [illegible] रहा है [illegible] रेकार्ड एवं नक्शा ट्रेस रास्ता 14–15 फीट चौडाई में है, [illegible] जाकर रेकार्ड में [illegible] पटवार कागजात राजस्व नक्शा ट्रेस में दर्ज कराये जाने का आदेश किए जाने हेतु निवेदन किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:17:04 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, विपक्षी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा हिदायत पैरवी करने से मना किया गया एवं

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

विपक्षी को पूर्व में भी काफी अवसर दिये जाने के बाद भी नहीं आने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विपक्षी संख्या 3 तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा ग्राम ऊखलिया की आ0नं0 1244 रकबा 0.33 है0 पर पहुंचने हेतु रास्ते के लिये आराजी नम्बर 1245 के दक्षिण पूर्वी सीमा तक आबादी से होकर रास्ता मौके स्थित है । आराजी नम्बर 1244 का खातेदार 1245 की पूर्वी मेड के सहारे दक्षिण से उत्तर की तरफ होते हुए आपसी सहमति से कृषि कार्य हेतु आता जाता रहा है परन्तु दोनों आराजियात के खातेदार के आपसी मनमुटाव की वजह से आराजी नम्बर 1245 के खातेदार से आराजी नम्बर 1244 के खातेदार को आने–जाने में दिक्कत हो रही है इसलिए आराजी नम्बर 1244 के खातेदार ने रास्ते हेतु आवेदन किया है। आराजी नम्बर 1244 के लिये आ0नं0 1245 के पूर्वी मेड़ का रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है परन्तु सबसे निकटम रास्ता है तथा इसके लिये कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। आराजी नम्बर 1244 तक पहुचने हेतु आनं० 1245 की पूर्वी मेड़ के सहारे 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता दिया जाना उचित है। उक्त रास्ते का क्षेत्रफल 25 मीटर लम्बा X 4 चौड़ा = 100 वर्गमीटर बनता है। तहसील राजस्व लेखाकार कार्यालय हाजा ने उक्त प्रकरण में ग्राम ऊखलिया की आराजी नम्बर 1244 रकबा 3300 वर्गमीटर भूमि के लिए आवगमन हेतु ग्राम ऊखलिया की आराजी नम्बर 1245 में से 100 वर्गमीटर प्रस्तावित रास्ते की राशि की गणना रिपोर्ट प्रस्तुत की जो निम्नानुसार है:–

क्र0स0	नाम ग्राम	आराजी नम्बर	कुल रकबा	रास्ता हेतु प्रयुक्त रकबा (वर्ग मीटर में)	डी0एल0सी दर (वर्गमीटर में)	रास्ते का रकवा X डी0एल0सी X 2 = कुल राशि (पूर्णांक में)
1	ऊंखलिया	1245	0.35 हैक्टेयर	100 वर्गमीटर	202.72 X 2	40460/–रू

4. दोनो पक्षो के अभिवचनों के आधार पर बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज नवशा ट्रेस की प्रतिया, नकल जमाबन्दी आराजी नम्बर 1244 एवं 1245 की प्रति, पर्चा मौका पटवार हल्का ऊंखलिया की प्रति एवं तहसीलदार निम्बाहेडा की अनुशंषा प्रतिवेदन ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारो एवं दस्तावेजो के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि ग्राम ऊखलिया की आराजी नम्बर 1244 का खातेदार 1245 की पूर्वी मेड के सहारे दक्षिण से उत्तर की तरफ होते हुए आपसी सहमति से कृषि कार्य हेतु आता जाता रहा है परन्तु दोनों आराजियात के खातेदार के आपसी मनमुटाव की वजह से आराजी नम्बर 1245 के खातेदार से आराजी नम्बर 1244 के खातेदार को आने–जाने में दिक्कत हो रही है इसलिए आराजी नम्बर 1244 के खातेदार ने रास्ते हेतु आवेदन किया है। आराजी नम्बर 1244 के लिये आ0नं0 1245 के पूर्वी मेड़ का रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है परन्तु सबसे निकटम रास्ता है तथा इसके लिये कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा अपनी जोत में जाने के लिए मांगा गया रास्ता जो तहसीलदार निम्बाहेडा की रिपोर्ट अनुसार आवगमन हेतु ग्राम ऊखलिया की आराजी नम्बर 1245 में से 100 वर्गमीटर प्रस्तावित भूमि रास्ते उपयोग में दर्ज किया जाने हेतु प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:17:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर

5. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–251–क का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

251–क अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना–(1) जहाँ

(क)कोई अभिधारी अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर पाइपलाइन बिछाना चाहता है, या

(ख) कोई अभिधरी या अभिधरियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुँचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौघ्र करना चाहता है–

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि–

(i)यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है –

तो आदेश द्वारा, आवेदक को अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चोड़ा करने के लिए उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहाँ–उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने अधिकार मंजूर किया जाये वहाँ ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया किया गया है सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमे से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की गई है, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:17:04 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

6. परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि ऊंखलिया पटवार हल्का ऊंखलिया तहसील निम्बाहेडा के प्रार्थी की आराजी नम्बर 1244 तक पहुंचने हेतु

सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

आराजी नम्बर 1245 की पूर्वी मेड के सहारे 4 मीटर चौड़ाई के रास्ते का क्षेत्रफल 25 मीटर लम्बा X 4 चौड़ा = 100 वर्गमीटर डी०एल०सी दर चौडाई का रास्ता कायम किया जायें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की कुल कीमत का दुगुना 40460/– अक्षरे चालिस हजार चार सौ साठ प्रार्थी से वसूल कर विपक्षी स. 1, 2 को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई जायें । अप्रार्थी के खातेदारी की भूमि में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जायें। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे। तहसीलदार द्वारा इस बात का ध्यान रखा जावे की विपक्षी द्वारा क्षतिपूर्ति लेने के उपरान्त राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावे। क्षतिपूर्ति नहीं लेने की स्थिति में डिमांड राशि अपने पास जमा रखते हुए राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावे। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार निम्बाहेडा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

क्र0स0	नाम ग्राम	आराजी नम्बर	कुल रकबा	रास्ता हेतु प्रयुक्त रकबा (वर्ग मीटर में)	डी0एल0सी दर (वर्गमीटर में)	रास्ते का रकबा X डी0एल0सी X 2 = कुल राशि (पूर्णांक में)
1	ऊंखलिया	1245	0.35 हैक्टेयर	100 वर्गमीटर	202.72 X 2	40460/—रू

निर्णय आज दिनांक 21.09.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

21/9/23

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:17:04 IST
Reason: SelfAttested